



संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-135/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड:

देहरादून: दिनांक 13 मार्च, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 640 दिनांक 12.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलसचिव द्वारा राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ (नैनीताल) को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़, (नैनीताल)	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास एवं संस्कृत)	60 सीट (प्रति विषय)	2022-23

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 02 माह के भीतर अपूर्ण मानक (भवन, पुस्तकालय) को यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी कार्रवाई शासन/उच्च शिक्षा विभाग से अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं0-2131 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियमों/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 4427 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-135/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ (नैनीताल)।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(एन0के0 पोखरियाल)

कुलाधिपति के उपसचिव।



संख्या : / जी०एस० / शिक्षा / A11-198/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड:**

देहरादून: दिनांक 13 मार्च, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 6659 दिनांक 19.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलसचिव द्वारा धर्मानन्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर को बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्या-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	धर्मानन्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	बी०बी०ए० बी०सी०ए०	30 सीट 30 सीट	2022-23

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- महाविद्यालय में भवन, पुस्तकालय मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही शासन/उच्च शिक्षा विभाग से अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं०-2131 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियमों/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव।

4428
संख्या : (1)/जी०एस० / शिक्षा / A11-198/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, धर्मानन्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन०के० पोखरियाल)

कुलाधिपति के उपसचिव।